न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : अपील/शिवपुरी/भू०रा० / 2019/336 - विरूद्ध - आदेश दिनांक 25–2–2019 - पारित - व्दारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण कमांक 185 / 2018–19 अपील

मुरारीलाल सामलिया सहरिया आदिवासी
ग्राम नौहरीकलॉ तहसील शिवपुरी ———अपीलांट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी ———रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री के०एस०कुशवाह)

(म०प्र०शासन के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 12-04-2019 को पारित)

यह अपील आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 185/2018–19 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–2–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट ने कलेक्टर शिवपुरी को म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग रखी कि उसके पास ग्राम नौहरी कलॉ में कुल 3–39 हैक्टर भूमि है जिसमें से वह सर्वे नंबर 702 रकबा 1–65 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि विकय करना चाहता है क्योंकि विकय की जाने जमीन असिंचित होकर अनउपजाउ है जिसके कारण वह फसल का लाभ नहीं ले पाता है। प्राप्त विकय धन से वह ग्राम में स्थित अन्य भूमि को सिंचित एंव अधिक उपजाउ बनायेगा, इसलिये विकय अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 28 अ 21/14–15 पॅजीबद्व किया तथा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जांच कराकर आदेश दिनॉक 31–3–17 पारित करके

अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। कलेक्टर जबलपुर के आदेश दिनॉक 31-3-17 के विरूद्व अपीलांट ने आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 185/18-19 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-2-2019 से अपील अग्राह्य कर दी। आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपीलांट के पास ग्राम नौहरी कलॉ में कुल 3-39 हैक्टर भूमि है जिसमें से वह सर्वे नंबर 702 रकबा 1-65 हैक्टर विक्रय करना चाहता है क्योंकि विक्रय की जाने वाली भूमि असिंचित होकर अनउपजाउ है जिसके कारण वह फसल का लाभ नहीं ले पाता है। प्राप्त विक्रय धन से अन्य भूमि को सिंचित करके अधिक उपजाउ बनायेगा। कलेक्टर शिवपुरी ने तहसीलदार एंव हलका पटवारी से जांच कराई है जिन्होंने भूमि विक्रय करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना बताते हुये जांच प्रतिवेदन दिया है कलेक्टर शिवपुरी को जांच प्रतिवेदन के आधार पर आदेश देना था, किन्तु उन्होंने इस पर विचार नहीं किया है। अपीलांट भूमि विक्रय के लिये केता से अनुबंध कर चुका है यह भी उसने कलेक्टर शिवपुरी को बता दिया था किन्तु इस पर भी विचार नहीं किया गया है। उन्होंने अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की ।

म0प्र0शासन के पैनल लायर का तर्क है कि कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट है कि भूमि शहर से लगी हुई है एंव अपीलांट आदिवासी भू धारक होने से कृषि से अन्य प्रयोजन से में उपयोग करके आर्थिक लाभ कमा सकता है इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दी गई है कलेक्टर का आदेश सही है । उन्होंने अपील निरस्त करने की मांग रखी।

5/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को शासन से पटटे पर प्राप्त भूमि नहीं है अपितु उसे पिता विरासत में प्राप्त हुई है । कलेक्टर शिवपुरी ने भूमि विक्रय अनुमति के तथ्यों की जांच तहसीलदार शिवपुरी से कराई तहसीलदार शिवपुरी का जांच प्रतिवेदन 6-4-15 का पद 2 लगायत 5 इस प्रकार है :-

2- आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि को सदभाविक स्वरूप से विक्रय किया जा रहा है किसी के दवाव में नहीं वेंची जा रही है ।

3- उक्त भूमि विक्रय की अनुमति मिलने के वाद संलग्न विक्रय का अनुबंध पत्र के आधार पर अमजदखां पुत्र गप्पू खां निवासी चिलोद को शासकीय गाइड लायन अनुसार विक्रय करेगा। भूमि का बाजारू मूल्य 10,00,000/- रूपये है।

4- भूमि मौके पर असिंचित है सिंचाई का कोई साधन नहीं है।

5- उपरोक्त भूमि पैतृक है पट्टे पर नहीं मिली है।

तहसीलदार शिवपुरी द्वारा प्रतिवेदन के अंत में अभिमत दिया है कि आवेदक उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आवेगा । पटवारी ग्राम की रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने की अनुसॅशा सहित प्रकरण उचित माध्यम से श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि शासन द्वारा पटटे पर दी गई भूमि न होकर अपीलांट को पिता से विरासत में प्राप्त हुई है जिसके प्रत्येक प्रकार के उपभोग के लिये वह स्वतंत्र है क्योंकि म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) को भूतलक्षी प्रभाव भी नहीं दिया गया है जिसके कारण अपीलांट को विक्रय अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 185/2018-19 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-2-2019 एंव कलेक्टर शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 28 अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनॉक 31-3-17 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव अपीलांट को उसके स्वामित्व की ग्राम नौहरी कलॉ स्थित भूमि सर्वे नंबर 702 रकबा 1-65 हैक्टर को केता अमजद खॉ पुत्र गप्पूखॉ निवासी चिलोद को विक्रय किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित करते समय सुनिश्चित करेंगे कि अग्रिम प्राप्त धन समायोजन के उपरांत समस्त विक्रय धन विकेता को केता द्वारा बैंकिग पद्धति से प्रदान कर दिया गया है अथवा नहीं। यह आदेश तीन माह तक प्रभावी माना जावेगा।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर